



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 355]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 11, 2014/आषाढ़ 20, 1936

No. 355]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 11, 2014/ASHADHA 20, 1936

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 2 जुलाई, 2014

सं. फेमा, 313/2014-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा

प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (ग्यारहवां संशोधन) विनियमावली, 2014

सा.का.नि. 487(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(ए) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम (ग्यारहवां संशोधन) विनियमावली, 2014 कहलाएंगे।

(बी) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. अनुसूची 5 में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में, अनुसूची 5 में,

- (ए) पैराग्राफ 1 में, 'निम्नलिखित प्रतिभूतियां सीधे उनके जारीकर्ता से अथवा भारत के किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में पंजीकृत शेयर दलाल के माध्यम से, प्रत्यावर्तनीय आधार पर, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) और रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत, खरीद सकता है' शब्दों को 'निम्नलिखित प्रतिभूतियां, प्रत्यावर्तनीय आधार पर, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) और रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत, खरीद सकता है' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (बी) पैराग्राफ 1ए में, खंड (v) में, ' निम्नलिखित प्रतिभूतियां सीधे उनके जारीकर्ता से अथवा भारत के किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में पंजीकृत शेयर दलाल के माध्यम से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के पास पंजीकृत किसी अर्हताप्राप्त निक्षेपागार सहभागी (QDP) के मार्फत प्रत्यावर्तनीय आधार पर, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) और रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत' शब्दों को 'निम्नलिखित प्रतिभूतियां भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के पास पंजीकृत किसी अर्हताप्राप्त निक्षेपागार सहभागी (QDP) के मार्फत प्रत्यावर्तनीय आधार पर, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) और रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (सी) पैराग्राफ 1बी में, खंड (iii) में, 'निम्नलिखित प्रतिभूतियां सीधे उनके जारीकर्ता से अथवा भारत के किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में पंजीकृत शेयर दलाल के माध्यम से, प्रत्यावर्तनीय आधार पर, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) और रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत, अर्थात्' शब्दों को 'निम्नलिखित प्रतिभूतियां, प्रत्यावर्तनीय आधार पर, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) और रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (डी) पैराग्राफ 4 में, '(ए) मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में पंजीकृत शेयर दलाल के माध्यम से ऐसी प्रतिभूतियां बेच सकता है अथवा (बी) मुचुअल फंडों की यूनिटों को पुनर्खरीद अथवा परिपक्वता पर भुगतान के लिए जारीकर्ता को प्रस्तुत कर सकता है अथवा (सी) परिपक्वता आगम-राशि के भुगतान के लिए सरकारी प्रतिभूतियां/खजाना बिल रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत कर सकता है' शब्दों को 'भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) और रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत प्रतिभूतियों को बेच सकता है/मोचित राशि प्राप्त कर सकता है' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[फा. सं. 1/3/ईएम./2014]

बी. पी. कानूनगो, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :

- (i) @ यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों को पूर्वप्रभावी करने के कारण किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा ।
- (ii) मूल विनियमावली 8 मई, 2000 के सा.का.नि. 406(अ) के द्वारा शासकीय राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में प्रकाशित और बाद में निम्नानुसार संशोधित की गयी थी:-

सा.का.नि. सं. 158(अ), दिनांक 02.03.2001	सा.का.नि. सं. 821(अ), दिनांक 10.11.2012
सा.का.नि. सं. 175(अ), दिनांक 13.03.2001	सा.का.नि. सं. 606(अ), दिनांक 03.08.2012
सा.का.नि. सं. 182(अ), दिनांक 14.03.2001	सा.का.नि. सं. 795(अ), दिनांक 30.10.2012
सा.का.नि. सं. 4(अ), दिनांक 02.01.2002	सा.का.नि. सं. 796(अ), दिनांक 30.10.2012
सा.का.नि. सं. 574(अ), दिनांक 19.08.2002	सा.का.नि. सं. 797(अ), दिनांक 30.10.2012
सा.का.नि. सं. 223(अ), दिनांक 18.03.2003	सा.का.नि. सं. 945(अ), दिनांक 31.12.2012
सा.का.नि. सं. 225(अ), दिनांक 18.03.2003	सा.का.नि. सं. 946(अ), दिनांक 31.12.2012
सा.का.नि. सं. 558(अ), दिनांक 22.07.2003	सा.का.नि. सं. 38(अ), दिनांक 22.01.2013
सा.का.नि. सं. 835(अ), दिनांक 23.10.2003	सा.का.नि. सं. 515(अ), दिनांक 30.07.2013
सा.का.नि. सं. 899(अ), दिनांक 22.11.2003	सा.का.नि. सं. 532(अ), दिनांक 05.08.2013
सा.का.नि. सं. 12(अ), दिनांक 07.01.2004	सा.का.नि. सं. 341(अ), दिनांक 28.05.2013
सा.का.नि. सं. 278(अ), दिनांक 23.04.2004	सा.का.नि. सं. 344(अ), दिनांक 29.05.2013
सा.का.नि. सं. 454(अ), दिनांक 16.07.2004	सा.का.नि. सं. 195(अ), दिनांक 01.04.2013
सा.का.नि. सं. 625(अ), दिनांक 21.09.2004	सा.का.नि. सं. 393(अ), दिनांक 21.06.2013
सा.का.नि. सं. 799(अ), दिनांक 08.12.2004	सा.का.नि. सं. 591(अ), दिनांक 04.09.2013
सा.का.नि. सं. 201(अ), दिनांक 01.04.2005	सा.का.नि. सं. 596(अ), दिनांक 06.09.2013
सा.का.नि. सं. 202(अ), दिनांक 01.04.2005	सा.का.नि. सं. 597(अ), दिनांक 06.09.2013
सा.का.नि. सं. 504(अ), दिनांक 25.07.2005	सा.का.नि. सं. 681(अ), दिनांक 11.10.2013
सा.का.नि. सं. 505(अ), दिनांक 25.07.2005	सा.का.नि. सं. 682(अ), दिनांक 11.10.2013
सा.का.नि. सं. 513(अ), दिनांक 29.07.2005	सा.का.नि. सं. 818(अ), दिनांक 31.12.2013
सा.का.नि. सं. 738(अ), दिनांक 22.12.2005	सा.का.नि. सं. 805(अ), दिनांक 30.12.2013
सा.का.नि. सं. 29(अ), दिनांक 19.01.2006	सा.का.नि. सं. 683(अ), दिनांक 11.10.2013
सा.का.नि. सं. 413(अ), दिनांक 11.07.2006	सा.का.नि. सं. 189(अ), दिनांक 19.03.2014
सा.का.नि. सं. 712(अ), दिनांक 14.11.2007	सा.का.नि. सं. 190(अ), दिनांक 19.03.2014
सा.का.नि. सं. 713(अ), दिनांक 14.11.2007	सा.का.नि. सं. 270(अ), दिनांक 07.04.2014
सा.का.नि. सं. 737(अ), दिनांक 29.11.2007	सा.का.नि. सं. 361(अ), दिनांक 27.05.2014
सा.का.नि. सं. 575(अ), दिनांक 05.08.2008	सा.का.नि. सं. 370(अ), दिनांक 30.05.2014
सा.का.नि. सं. 896(अ), दिनांक 30.12.2008	सा.का.नि. सं. 371(अ), दिनांक 30.05.2014
सा.का.नि. सं. 851(अ), दिनांक 01.12.2009	सा.का.नि. सं. 400(अ), दिनांक 12.06.2014
सा.का.नि. सं. 341(अ), दिनांक 21.04.2010	

RESERVE BANK OF INDIA
(Foreign Exchange Department)
(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 2nd July, 2014

No. FEMA-313/2014-RB

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Eleventh Amendment) Regulations, 2014

G.S.R. 487(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA.20/2000-RB, dated May 3, 2000), namely:—

1. Short Title and Commencement

- (a) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Eleventh Amendment) Regulations, 2014.
- (b) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Schedule 5

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA.20/2000-RB, dated May 3, 2000), in Schedule 5,

- (A) in paragraph 1, for the words ‘purchase, on repatriation basis, either directly from the issuer of such securities or through a registered stock broker on a recognized Stock Exchange in India the following securities, subject to the terms and conditions as specified by the SEBI and the Reserve Bank from time to time’, the words ‘purchase the following securities on repatriation basis and subject to such terms and conditions as may be specified by the SEBI and the Reserve Bank from time to time’ shall be substituted;
- (B) in paragraph 1A, in clause (v), for the words ‘on repatriation basis through SEBI registered Qualified Depository Participant (QDP), either directly from the issuer or through a registered broker on recognized Stock Exchange in India the following securities, subject to terms and condition as specified by the SEBI and the Reserve Bank from time to time’, the words ‘the following securities on repatriation basis through SEBI registered Qualified Depository Participant (QDP) and subject to such terms and conditions as may be specified by the SEBI and the Reserve Bank from time to time’ shall be substituted;
- (C) in paragraph 1B, in clause (iii), for the words ‘on repatriation basis, either directly from the issuer of such securities or through registered stock broker on a recognised Stock Exchange in India, the following securities, subject to the terms and conditions as specified by the SEBI and the Reserve Bank from time to time, namely’, the words ‘the following securities on repatriation basis and subject to such terms and conditions as may be specified by the SEBI and the Reserve Bank from time to time’ shall be substituted;
- (D) in paragraph 4, for the words “may sell (a) such securities through a registered stock broker on a recognised stock exchange or (b) tender units of mutual funds to the issuer for repurchase or for payment of maturity proceeds or (c) tender Government securities/treasury bills to the Reserve Bank for payment of maturity proceeds” the words ‘may sell/ redeem the securities subject to such terms and conditions as may be specified by the SEBI and the Reserve Bank from time to time’ shall be substituted.

[F. No. 1/3/EM/2014]

B. P. KANUNGO, Pl. Chief General Manager

Foot Note :

- (i) It is clarified that no person will be adversely affected as a result of the retrospective effect being given to these Regulations.
- (ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* No. G.S.R. 406(E), dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, Sub-Section (i) and subsequently amended as under:—

G.S.R. No. 158(E), dated 02.03.2001
 G.S.R. No. 175(E), dated 13.03.2001
 G.S.R. No. 182(E), dated 14.03.2001
 G.S.R. No. 4(E), dated 02.01.2002
 G.S.R. No. 574(E), dated 19.08.2002
 G.S.R. No. 223(E), dated 18.03.2003
 G.S.R. No. 225(E), dated 18.03.2003
 G.S.R. No. 558(E), dated 22.07.2003
 G.S.R. No. 835(E), dated 23.10.2003
 G.S.R. No. 899(E), dated 22.11.2003
 G.S.R. No. 12(E), dated 07.01.2004
 G.S.R. No. 278(E), dated 23.04.2004
 G.S.R. No. 454(E), dated 16.07.2004
 G.S.R. No. 625(E), dated 21.09.2004
 G.S.R. No. 799(E), dated 08.12.2004
 G.S.R. No. 201(E), dated 01.04.2005
 G.S.R. No. 202(E), dated 01.04.2005
 G.S.R. No. 504(E), dated 25.07.2005
 G.S.R. No. 505(E), dated 25.07.2005
 G.S.R. No. 513(E), dated 29.07.2005
 G.S.R. No. 738(E), dated 22.12.2005
 G.S.R. No. 29(E), dated 19.01.2006
 G.S.R. No. 413(E), dated 11.07.2006
 G.S.R. No. 712(E), dated 14.11.2007
 G.S.R. No. 713(E), dated 14.11.2007
 G.S.R. No. 737(E), dated 29.11.2007
 G.S.R. No. 575(E), dated 05.08.2008
 G.S.R. No. 896(E), dated 30.12.2008
 G.S.R. No. 851(E), dated 01.12.2009
 G.S.R. No. 341(E), dated 21.04.2010

G.S.R. No. 821(E), dated 10.11.2012
 G.S.R. No. 606(E), dated 03.08.2012
 G.S.R. No. 795(E), dated 30.10.2012
 G.S.R. No. 796(E), dated 30.10.2012
 G.S.R. No. 797(E), dated 30.10.2012
 G.S.R. No. 945(E), dated 31.12.2012
 G.S.R. No. 946(E), dated 31.12.2012
 G.S.R. No. 38(E), dated 22.01.2013
 G.S.R. No. 515(E), dated 30.07.2013
 G.S.R. No. 532(E), dated 05.08.2013
 G.S.R. No. 341(E), dated 28.05.2013
 G.S.R. No. 344(E), dated 29.05.2013
 G.S.R. No. 195(E), dated 01.04.2013
 G.S.R.No. 393(E), dated 21.06.2013
 G.S.R.No. 591(E), dated 04.09.2013
 G.S.R.No. 596(E), dated 06.09.2013
 G.S.R.No. 597(E), dated 06.09.2013
 G.S.R.No. 681(E), dated 11.10.2013
 G.S.R.No. 682(E), dated 11.10.2013
 G.S.R. No. 818(E), dated 31.12.2013
 G.S.R. No. 805(E), dated 30.12.2013
 G.S.R.No. 683(E), dated 11.10.2013
 G.S.R. No. 189(E), dated 19.03.2014
 G.S.R. No. 190(E), dated 19.03.2014
 G.S.R. No. 270(E), dated 07.04.2014
 G.S.R.No. 361(E), dated 27.05.2014
 G.S.R.No. 370(E), dated 30.05.2014
 G.S.R.No. 371(E), dated 30.05.2014
 G.S.R.No. 400 (E), dated 12.06.2014